फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 11/2021 - अवमानना (जीसीएमएस/2021/179) **श्री उदा धाकड बनाम श्री चांदमल बोकडिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.09.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री परमेश्वर पंड्या - वकील प्रार्थी 2. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अप्रार्थी-1 से 7 **अनवान** 1. श्री उदा पिता श्री जगन्नाथ धाकड़, निवासी सेंती, जिला चित्तौड़गढ़। **प्रार्थी** 1. श्री चांदमल पिता श्री मोतीलाल बोकडिया, निवासी सेंती जिला चित्तौड़गढ़। 2. श्रीमती शारदा पत्नि श्री मोतीलाल बोकडिया, निवासी सेंती जिला चित्तौड़गढ़। 3. श्रीमती कामिनी पत्नि श्री गगन बोकडिया, निवासी आजादनगर, सेंती जिला चित्तौड़गढ़। 4. श्री गौरव पिता श्री चांदमल बोकडिया, निवासी आजादनगर, सेंती जिला चित्तौड़गढ़। 5. श्री गगन पिता श्री चांदमल बोकडिया, निवासी आजादनगर, सेंती जिला चित्तौड़गढ़। 6. श्रीमती उषा दशोरा पत्नि श्री विद्याधर दशोरा, निवासी धाकड मोहल्ला, पुरानी आबादी जिला चित्तौड़गढ़। 7. श्री विद्याधर दशोरा पिता श्री रूपलाल दशोरा, निवासी धाकड मोहल्ला, पुरानी आबादी जिला चित्तौड़गढ़। 8. श्री विकास जोशी पिता श्री बद्रीप्रसाद जोशी, निवासी जाशमा, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़। 9. श्री डमरूशंकर दशोरा पिता स्व.श्री गिरधारीलाल दशोरा, निवासी घोसुण्डी, पोस्ट बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 10. श्री ज्योती प्रकाश चिमनानी पिता श्री सुन्दरलाल चिमनानी, निवासी पुरानी आबादी, धाकड़ मोहल्ला, सेंती-चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 11. श्री राकेश कुमार दशोरा पिता श्री कमलाशंकर दशोरा, निवासी मकान नम्बर 59, सोमनगर, द्वितीय मधुवन, सेंती-चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। **अप्रार्थी** **<u>आदेश</u>** दिनांक 08.09.2023 वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के प्रकरण संख्या 148/2018 बउनवानी श्री उदा धाकड बनाम श्री चांदमल बोकडिया व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 26.12.2018 के विरू पेश किया गया है। दोरान न्यायालय कार्यवाही अधिवक्ता अप्रार्थी-1 से 7 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसके खण्डन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 01.09.2023 को उपस्थित अधिवक्तागण को प्रारम्भिक आपत्ति पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी-1 से 7 ने जरिये प्रारम्भिक आपत्ति व बहस में प्रस्तुत किया गया कि माननीय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 29.09.2020 से अस्वीकार की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 21.05.2018 को यथावत रखा गया, ऐसें में अपील की कार्यवाही के निस्तारण उपरान्त अवमानना की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र में अपील के पक्षकारों के अलावा अन्य को पक्षकार बना कर प्रार्थना पत्र पेश किया। अपील के पक्षकारों एवं अन्य पक्षकारों को न्यायालय के आदेश दिनांक 26.12.2018 की प्रति सर्व नहीं की गई और स्थगन आदेश की कोई जानकारी नहीं दी गई, अतः उदा धाकड़ द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है, अतः प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना इसी स्तर पर निरस्त किये जाने आदेश प्रदान कराया जावें। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति के खण्डन में जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपील के निर्णय दिनांक 29.09.2020 के विरूद्ध अपर न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर रखी है। अवमानना प्रार्थना पत्र पोषणीय है, इसके लिए अप्रार्थीगण उत्तरादायी है, जिनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण ने जानबूझकर गलत आपत्ति प्रस्तुत की है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है, जिसे खारिज फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति एवं जवाब पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी-1 से 7 की बहस के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि माननीय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 29.09.2020 से अस्वीकार की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 21.05.2018 को यथावत रखा गया। जब मूल अपील ही निस्तारित हो चुकी है तो अवमानना प्रार्थना पत्र को चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस आशय का सिद्वान्त माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आरआरटी 2011-12 (Supp.) पेज 520 में प्रतिपादित किया कि	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 11/2021 - अवमानना (जीसीएमएस/2021/179) **श्री उदा धाकड बनाम श्री चांदमल बोकडिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश 39 नियम 2ए के अन्तर्गत कार्यवाही वाद के निस्तारण के बाद पोषणीय नहीं है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा द्वारा सिविल रिवीजन संख्या 1170/1981, बउनवानी दर्शनसिंह बनाम सधासिंह व अन्य, निर्णय दिनांक 24.01.2002 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया कि no proceedings under Order 39 Rule 2(3) of the code are competent to be continued after the order of interim injunction has been vacated by virtue of dismissal of the suit. इसके अतिरिक्त हम अधिवक्ता अप्रार्थी-1 से 7 के कथनों से सहमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र में अपील के पक्षकारों के अलावा अन्य को पक्षकार बना कर प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही पत्रावली पर उपलब्ध है जो यह साबित करता हो कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किये जाने उपरान्त सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3क व 3ख की पालना की हो जबकि यह एक अनिवार्य प्रावधान है, जिसकी पालना प्रार्थी अपीलार्थी से किया जाना अपेक्षित थी, जो नहीं किया जाना परिलक्षित होती है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी-1 से 7 द्वारा प्रस्तुत यह आपत्ति स्वीकार्य योग्य है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप यह अवमानना प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिफ दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (महावीर खराड़ी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	